(vi) Enhancement of loan component for grant of Sugar Development Fund assistance for KT Weirs and lift irrigation schemes.

(vii) Announcement of Statutory Minimum Price (SMP) of sugarcane for 1993-94 season at Rs. 34.50 per quintal, linked to a basic recovery of 8.5 per cent as against Rs. 31/- per quintal for 1992-93 season. An advance announcement of SMP for 1994-95 season has also been made at Rs. 37/- per quintal, linked to a basic recovery of 8.5 per cent.

(viii) The incentive scheme for new sugar factories and expansion projects has been suitably revised.

(ix) State Governments have been requested to consider imposition of restrictions or gur and khandsari units prohibiting their operation before 31-12-1993 so as make available more proportion of cane to the sugar mill sector.

देश में चीनी पर लगाये गए उपस्कर की वसूली

*334. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रत्येक चीनी मिल में उत्पादित चीनी पर उपकर लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उपकर की यह राशि चीनी की उपभोक्ता कीमत तय करते समय चीनी के उत्पादन-लागत मूल्य जोड़ दी जाती है और कीमत बढ़ा कर उपभोक्ताओं से वसूल की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या यह भी सच है कि इस प्रकार वसूल की गई राशि को चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, उनके अनुसंधान कार्य और गन्ना विकास हेतु ऋण और अनुदान के रूप में चीनी मिलों को ही दे दिया जाता है ।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां। समय-समय पर यथा संशोधित चीनी उपकर अधिनियम, 1982 में भारत में प्रत्येक चीनी फैक्ट्री द्वारा उत्पादित समस्त चीनी पर 14.00 रुपये प्रति क्विंटल का उपस्कर लगाने और उसे एकत्रित करने का प्रावधान है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) चीनी उपकर अधिनियम से अधीन लगाए गए और एकत्रित किए गए उपकर की राशि में से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निश्चित एकत्रण लागत को घटाकर निकली राशि और इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार के पास प्राप्त हुई अन्य राशियां संसद द्वारा किए गए यथा विनियोजन के बाद चीनी विकास निधि में जमा करवाई जाती है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा चीनी विकास निधि का निम्नलिखित के लिए प्रयोग किया जा सकता है:-

(1) किसी चीनी फैक्ट्री के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए ऋण देना ;

(2) उस क्षेत्र में, जहां कोई चीनी फैक्ट्री स्थित है, गन्ने का विकास करने के लिए किसी योजना को आरम्भ करने के लिए ऋण देना ;

(3) किसी अनुसंधान परियोजना, जिसका उद्देश्य चीनी उद्योग का विकास करना हो, के प्रयोजन के लिए अनुदान देना ;

(4) चीनी का बफर स्टाक बनाने तथा उसका अनुरक्षण करने के प्रयोजन के लिए खर्च की अदायगी करना ताकि चीनी के मूल्य स्थिर रखे जा सकें ;

(5) अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खर्च की अदायगी करना ।

OPEN LETTER TO PRIME MINISTER ON THE AFFAIRS OF K.V.S.

*335. SHRI N. GIRI PRASAD : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have received recently any Open Letter to the Prime